<u>न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी०एक्ट), सन्त कबीर नगर।</u>

(UPSK010020222026)

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–154/2026

राम अवध बेलदार–––बनाम ––– राम नरायन यादव आदि

अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस

थाना–धनघटा, जनपद–संत कबीर नगर

<u>दिनांक–22.07.2026</u>

1- पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

2- प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173(4) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर संक्षेप में यह कथन किया गया है कि दिनांक 09.05.2026 को समय करीब 8.25 बजे सुबह प्रार्थी गाँव में सामान लेने गया हुआ था कि अभियुक्त किशन यादव बिना वजह उसको गाली देने लगा जिस पर उसने विरोध किया तो किशन यादव ने उसको जान से मार डालने की धमकी दिया। उसने चुपचाप अपने घर परिवार को लोगों को सारी बात बताई जिस पर उसके पुत्रगण विनोद, प्रमोद, राकेश व संजय उक्त बात की उलाहना देने विपक्षीगण के पास गये, परन्तु विपक्षीगण व उसके अन्य साथी पहले से लाठी-डण्डा से लैस होकर बैठे थे। जैसे ही उसके पुत्रगण उक्त बात की शिकायत किया, क्यों मेरे पिता को गाली-गुप्ता व जान से मारने की एवं जातिसूचक शब्दों बेल्दार जाति के भोसड़ी वाले साले की गालियाँ दिये हो जिस पर अभियुक्तगण व उनके साथ के लोग मारने के लिए दौड़ा लिए। उसके पुत्रगण अपनी जान बचा कर अपने घर की तरफ भागे कि उसके घर के थोड़ी दूर पर सभी अभियुक्तगण ने मेरे सभी पुत्रों को पकड़ कर लाठी-डण्डा व लात-मूक्का से बुरी तरह मारने-पीटने लगे और जातिसूचक शब्दों बेल्दार जाति के साले मादरचोद तुम्हारी यह हिम्मत कि शिकायत करो। अभियुक्तगण के मारने से विनोद के दाये पैर की उंगली हड्डी समेत कट गई तथा प्रमोद के दाये हाथ पर गंभीर एवं कमर पर अन्दरूनी चोटे आयीं और राकेश के कान में चोट लगने से कान सुन्न हो गया और माँ-बहन की जाति सूचक शब्दों की गालियाँ देते एवं बुरी तरह से मार-पीट कर एवं जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। लोगों के बीच-बचाव से मामला शान्त होने पर उसने उक्त घटना की सूचना 112 नंबर डायल करके दिया। पुलिस आते देखकर सभी अभियुक्तगण वहाँ से भाग गये तब जाकर प्रार्थी सहित पुत्रों की जान बची। उसने सारे चोटहिलों के साथ थाना मुकामी जाकर सूचना दिया किन्तु स्थानीय पुलिस अभियुक्तगण जो काफी पहुँच प्रभाव वाले राजनीतिक व्यक्ति हैं, के प्रभाव में आकर कोई सुनवाई नहीं किया जबकि अभियुक्तगण के प्रभाव में आकर उसके व उसके पुत्रों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। चूंकि अभियुक्तगण काफी गोलबन्द व राजनीतिक व्यक्तियों की पकड़ है जिससे बराबर प्रार्थी सहित पूरे परिवार के लोगों को गोली मार देने की धमकी दे रहे हैं, जिससे उसके व उसका परिवार भयाक्रान्त है। कभी भी अभिुक्तगण उसको व उसके परिवार के साथ अप्रिय घटना कर सकते हैं। हलाकि इस घटना के पहले भी अभियुक्तगण उसके व उसके परिवार वालों को बुरी तरह मार-पीट

कर घायल कर चुके हैं और यह तीसरी बार की घटना है। वह गरीब व अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही न होने से उनका मनोबल काफी बढ़ गया है और उसके व उसके परिवार का उत्पीड़न कर रहे हैं, जिससे उसका व उसके परिवार अभियुक्तगण के उत्पीड़न से काफी त्रस्त है, वहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसने उक्त घटना की सूचना मुकामी थाने पर दिया, कोई सुनवाई न होने पर घटना की सूचनी पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर को पंजीकृत डाक से दिया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे आये दिन अभियुक्तगण गाली व जान से मार-डालने की धमकी देते फिर रहे हैं, जिससे उसका व उसके परिवार का गाँव, घर पर रहना दुश्वार हो गया है। वह स्वयं से मुकदमा दाखिल करके लड़ पाने में असमर्थ है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह याचना की गई है कि थानाध्यक्ष धनघटा को आदेशित किया जाय कि वह मुल्जिमानों के विरुध मुकदमा पंजीकृत कर उचित दण्डात्मक कार्यवाही करें।

3– प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, दवा इलाज पर्ची की छायाप्रति, चोटहिल की फोटो की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, पुलिस अधीक्षक को भेजे गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति व रजिस्ट्री रसीद प्रस्तुत की गई है।

4. उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर थाना धनघटा से आख्या आहूत की गई। क्षेत्राधिकारी धनघटा द्वारा यह आख्या प्रस्तुत की गयी है कि दिनांक 09.05.26 को आवेदक पक्ष व द्वितीय पक्ष के आपसी विवाद को लेकर आवेदक पक्ष के लोगों के द्वारा एकत्रित होकर द्वितीय पक्ष को लाठी डण्डा से मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया गया। मारपीट की शुरुआत आवेदक पक्ष द्वारा ही किया गया है तथा द्वितीय पक्ष द्वारा मुख्यतः अपना बचाव किया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष के रामनरायन द्वारा थाना धनघटा पर दिनांक 09.05.26 को प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके आधार पर थाना धनघटा पर मु०अ०सं०-269/26 धारा 115(2), 352, 251(3) बीएनएस बनाम संदीप, राकेश, विनोद, प्रमोद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। आवेदक के प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों की पुष्टि नहीं हो रही है। आवेदक मात्र क्रास अभियोग पंजीकृत कराने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना पाया जा रहा है। थाने की आख्यानुसार थाना हाजा पर उक्त के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5– मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, प्रार्थिनी की ओर से दाखिल अभिलेखों व चिकित्सीय साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है। यह तथ्य विवेचना से स्पष्ट हो सकेगा क्या घटना एक सम्व्यवहार में कारित की गयी है और मामला क्रास केस का है अथवा प्रार्थना पत्र द्वेषवश प्रतिरक्षा में प्रस्तुत किया गया है? उपरोक्त समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-173(4) BNS स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

6– प्रार्थी राम अवध बेलदार का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS स्वीकार किया जाता है। क्षेत्राधिकारी /थानाध्यक्ष धनघटा को निर्देशित किया जाता है कि विपक्षीगण के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करें तथा एफ०आई०आर० पंजीकरण संबंधित आख्या 7 दिन में न्यायालय में प्रस्तुत करें।

दिनांक–22.07.2026

(चन्द्रमोहन श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
सन्त कबीर नगर।
जे०ओ०कोड–UP01540

Digitally signed by CHANDRA MOHAN SRIVASTAVA
Date: 2026.07.22 16:15:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court